REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 1 | OCTOBER - 2018

स्व–सहायता समूह और महिलाओं की आर्थिक उन्नति (बिलासपुर जिले के संदर्भ में)

श्रीमती विनिता गौतम[1] , डॉ. ए. करीम[2] , डॉ.एस.एस. खनूजा[3]
[1]सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग , शा. नवीन कन्या महाविद्यालय , जिला–बेमेतरा (छ.ग.)
[2] विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग , महाविद्यालय, जिला–महासमुंद (छ.ग.)
[3] प्राचार्य दुर्गा महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

संक्षेपिका –

स्व–सहायता समूह महिलाओं एवं गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक सिद्ध हुआ है स्व–सहायता समूह से तात्पर्य विशिष्ट उददे्श्य की पूर्ति करने हेतु संगठित होकर छोटे एवं स्वेच्छिक समूह बनाकर आपस में एक दूसरे की सहायता करने के साथ–साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं से छुटकारा पाकर छोटी–छोटी कमियों को दूर कर निर्धनता से मुक्ति पाना है। पूर्व में खासकर गरीब परिवार की महिलाये जिनको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपने पति या घर के पुरूष सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता था परन्तु जब से महिलायें आपस में संगठित होकर समूह बनाकर कार्यकरने लगी है तब से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है तथा किसी दूसरे पर निर्भर रहे बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है।

मुख्य शब्द – स्व–सहायता समूह, आर्थिक उन्नति निर्भर, संगठित, पूर्ति, आजीविका.

प्रस्तावना –

प्राचीन समय में अपनी आजीविका चलाने के लिये मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर रहना पड़ता था, भारत एक कृषि प्रधान देश है देश में पचास प्रतिशत आबादी अपनी आजीविका चलाने के लिये खेती पर निर्भर रहते है समय के साथ समाज शिक्षित होता गया इसके साथ ही साथ लोग आपस में संगठित होकर समूह में कार्य करने लगे तथा इससे प्राप्त आय से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे सर्व प्रथम इसकी शुरूआत बंग्लादेश में मोहम्मद युनुस द्वारा किया गया आर्थिक रूपय से कमजोर वर्ग को स्व–रोजगार उपलब्ध कराने लघु उद्योगों से जोड़ने तथा छोटी–छोटी बचत के लिये स्व–सहायता समूह का गठन किया गया। इसी तर्ज पर भारत में वर्ष 1974 में गुजराज राज्य में इला भट्ट द्वारा महिलाओं को संगठित कर समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया, वर्तमान में सभी राज्य एवं प्रत्येक जिला तथा कस्बा एवं गॉव में महिलायें आपस में समूह बनाकर कार्य कर रही है और आय अर्जित कर बचत कर रही है।

परिणाम एवं व्याख्या –

छ.ग. राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं मानी जा सकती प्रदेश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा के साथ–साथ महिलाओं में जागरूकता व्यवसायिक सूझ–बूझ तथा बाजार ज्ञान की कमी है। जिसके कारण इनका सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण संभावना के अनुरूप नहीं हो पा रहा है इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिये महिला स्व–सहायता समूह का गठन एक सशक्त साधन बन गया है वर्तमान में महिला स्व–सहायता समूह महिलाओं को आर्थिक एवं सामजिक प्रगतिशील बनाने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सार्थक सिद्ध हुआ है।

बिलासपुर जिले से संबंधित 11 ब्लाक में कार्यरत महिला स्व–सहायता समूह के कार्य निष्पादन तथा उनसे अर्जित आय का विश्लेषण किया गया। बिलासपुर जिले एवं ब्लाक में कुल 5059 महिला स्व–सहायता समूह वर्तमान में कार्यरत है।

बिलासपुर जिले में कार्यरत कुल स्व–सहायता समूह
बिलासपुर (438)

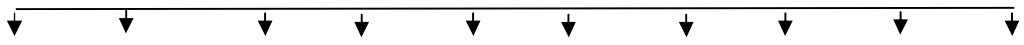

बिल्हा,	सरकण्डा,	गौरेला,	कोटा,	पेण्ड्रा,	मारवाही,	मस्तुरी,	सीपत,	तखतपुर,	सकरी
861,	885,	166	623	210	312	471	348	344	411

स्व–सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य हो सकते है एक परिवार से केवल एक ही सदस्य शामिल हो सकता है समूह के सभी सदस्य को सामान्य आर्थिक स्थिति एवं समान विचारधारा के होना चाहिये। समूह के गठन के पश्चात् समूह के सदस्यों के राय से नये सदस्य को शामिल किया जा सकता हैं स्व–सहायता समूह में 12 से 16 सदस्य वाली समूह को आदर्श समूह माना जाता है। समूह गठन के पश्चात् सदस्यों द्वारा समूह का नामकरण किया जाता है। तथा महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग में पंजीयन भी कराया जाता है।

स्व. सहायता समूह का प्रमुख कार्य बचत करना है समूह के सदस्यों द्वारा बचत दैनिक एवं मासिक किया जा सकता है बचत कि राशि 5रू. 10रू, 20रू. 50रू. 100रू. से लेकर हजारों रूपये तक हो सकता है। बचत सदस्यों के इच्छा एवं उनके क्षमता पर निर्भर करता है बचत की राशि सदस्यों द्वारा दैनिक सप्ताहिक एवं मासिक बैठक में जमा करनी होती है, सदस्यों द्वारा जमा कि गई राशि सचिव द्वारा जमा पंजी में दर्ज की जाती है। समूह के सदस्यो द्वारा बचत की गई राशि को बैठक में जमा कर उचित ब्याज प्राप्त किया जाता है।

स्व–सहायता समूह अपनी जमा एवं बचत राशि को अपने सदस्यों को उनकी मांग एवं आवश्यकतानुसार ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। इसे आंतरिक लेन–देन भी कहते है। इसका उददेश्य समूह की राशि पर आय आर्जित करना सदस्यों की जरूरत की पूर्ति करना एवं साहूकार के शोषण से मुक्ति दीलाना है, समूह के सदस्यों द्वारा अपने ही सदस्यों को ऋण आसान शर्त एवं आसान ब्याज पर दीया जाता है जिससे सदस्यों के आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके समूह के सदस्यों को ऋण उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दीया जाता है जैसे बीमारी के इलाज, स्कूल फीस, खाद्यबीज, कीटनाशक आदि जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दीया जाता है तथा आंतरिक ऋण वापसी की किस्ते मासिक एवं तिमाही हो सकता है जिससे सदस्य अपनी सुविधा अनुसार ऋण की अदायगी कर सकते है।

समूह के सदस्यों द्वारा किये जा रहे कार्य का मूल्यांकन करने के लिये ग्रेडिंग प्रदान किया जाता है समूह का ग्रेडिंग समूह के कार्य एसं क्रियाकलाप पर निर्भर करता है कि समूह वित्तीय सहायता प्राप्त करने के योग्य है कि नहीं आंतरिक लेन–देन एवं ऋण वापसी करने में सक्षम है कि नहीं अभिलेख को संधारित किया जा रहा है कि नहीं मासिक बैठक नियमित रूप से किया जा रहा है कि नहीं इस संबंध में स्व–सहायता समूह का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है। जिसमें उनके द्वारा किये जा रहे कार्य इनके द्वारा अर्जित आय एवं बचत का स्पष्ट रूप से पता चलता है।

स्व–सहायता समूह के ग्रेडिंग का मापदण्ड चार्ट के माध्यम से तैयार किया जाता है।

समूह ग्रेडिंग का मापदण्ड

क्र.	मापदण्ड	श्रेणी 'अ'	श्रेणी 'ब'	श्रेणी 'स'
1	समूह की सदस्य संख्या	10–20	–	–
2	समूह की आयु	1 वर्ष से अधिक	6 माह से अधिक 1 वर्ष से कम	6 माह से कम
3	अभिलेख का संधारण	संधारित एवं व्यवस्थित	संधारित एवं अव्यवस्थित	असंधारित
4	नियमित बैठक	माह में 1 वाट नियमित	अनियमित	अनियमित
5	नियमित बचत	80 प्रतिशत से अधिक	80 प्रतिशत से कम	80 प्रतिशत से कम
6	आपसी लेन–देन	60 प्रतिशत से अधिक राशि का उपयोग	40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 80 प्रतिशत से कम	40 प्रतिशत से कम राशि का उपयोग
7	ऋण वापसी	80 प्रतिशत से अधिक	60 प्रतिशत से अधिक	60 प्रतिशत से कम

संदर्भ –

1. प्रशिक्षण संदशिके (महिला एवं बाल विकास विभाग)
2. उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. भोपाल स्व–सहायता समूह